लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 958

18 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र पर कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव

958. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
श्री सुधीर गुप्ताः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदरः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी के कारण वस्त्र क्षेत्र और इस क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र और बुनकरों को हुए नुकसान के संबंध् में कोई आकलन किया है तथा इसके परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार के लिए कोई आर्थिक पैकेज देने का प्रस्ताव है/प्रस्ताव करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है और सरकार द्वारा भारतीय वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बुनकरों के लिए 'आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम' के तहत पुनरुद्धार पैकेज अथवा योजना की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में वस्त्र विनिर्माण इकाइयां—हथकरघा और विद्युतकरघा ऋण के जाल में फंस गई हैं, छंटनी का सहारा ले रही हैं, इनके निर्यात में कमी आई है, पहले से बुक किए गए आदेशों को रद्द किया जा रहा है, बैंकों/उधारदाताओं की ओर से दिए गए ऋण पर ब्याज का भार है, भारी स्टॉक आदि इकट्ठा हो गया है और ये बंद होने के कगार पर है तथा यदि हां, तो विशेषकर कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश में रुग्ण/बंद वस्त्र मिलों की सहायता करने के लिए कोई सहायता/एसओपी/प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रस्ताव है/दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): वैश्विक महामारी कोविड-19 से सामाजिक समारोह में प्रतिबंध, श्रमिकों के पलायन के कारण विभिन्न वस्त्र क्षेत्रों के वर्तमान कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है तथा साथ ही इससे वस्त्र क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में किसानों से लेकर व्यापारियों और निर्यातकों तक सभी स्टेकधारक भी प्रभावित हुए हैं तथा इसी समय इसने कुछ ऐसे नए अवसर भी खोले हैं जिनका पहले कम दोहन किया लगाया गया था। सरकार ने इस क्षेत्र में आए संकट का पता लगाने के लिए 'भारतीय रेशम वस्त्र उद्योग पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव' का अध्ययन कराया है। यह पाया गया है कि मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन में कमी तथा मौद्रिक घाटा हुआ है। उद्योग को उत्पादन में कमी, कोकून और कच्चे रेशम के मूल्यों में गिरावट, परिवहन समस्याओं, कुशल कर्मचारियों की अनुपलबधता, कच्चे रेशम तथा रेशमी उत्पादों की बिक्री में समस्याओं, कार्यचालन पूंजी तथा नगद प्राप्ति की समस्या, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, रेशम फैब्रिक की मांग में कमी, निर्यात एवं आयात प्रतिबंधों के अलावा निर्यात/आयात आदेशों के रद्द होने जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। चूंकि वस्त्र क्षेत्र अत्यधिक असंगठित क्षेत्र है, अतः सरकार ने इस क्षेत्र को हुई हानि के संबंध में कोई औपचारिक आकलन नहीं किया है।

(ख) से (घ): कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज अर्थात आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत और ऋण सहायता उपायों की घोषणा की गई है। बुनकर और दस्तकार/कारीगर कोविड-19 महामारी द्वारा आवश्यक लॉकडाउन के कारण प्रभावित अपने कारोबार के पुनरूत्थान के लिए इन राहत और ऋण सहायता उपायों का लाभ उठा सकते हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' को साकार करने की दिशा में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने देश के विभिन्न कोनों से हथकरघा बुनकरों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ वर्चुअल रूप में जोड़ने का प्रयास किया है।

द इंडियन टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया गया था जिसमें देश के विभिन्न भागों से 200 से अधिक भागीदारों ने अपने अद्वितीय डिजाइनों और कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को सहायता देने के उद्देश्य से और हथकरघा बुनकरों/कारीगरों/उत्पादकों के लिए व्यापक बाजार बनाने के लिए बुनकरों/कारीगरों को गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) में शामिल करने के कदम उठाए गए हैं ताकि वे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को सीधे अपने उत्पाद बेच सकें।

सरकार द्वारा भारत की हथकरघा धरोहर को आगे बढ़ाने और बुनकर समुदाय के लिए लोगों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सहभागिता से छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर एक सोशल मीडिया अभियान #Vocal 4handmade शुरू किया गया।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य हथकरघा निगमों/सहकारी संस्थाओं/एजेंसियों को हथकरघा बुनकरों/कारीगरों के पास उपलब्ध तैयार सूची

में से खरीद करें ताकि बुनकरों को उनकी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए उनके हाथों में कुछ नगदी दी जा सके।

महामारी संकट से निपटने के लिए सरकार हमारे बुनकरों और हथकरघा उत्पादकों को ऑनलाइन मार्केटिंग अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। हथकरघा बुनकरों के बीच भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) द्वारा बुनकर केंद्रित क्षेत्रों में चौपाल/ई-चौपाल आयोजित की गई हैं।

इसके अलावा, हथकरघा उत्पादों की ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कोई भी इच्छुक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में भाग ले सकता है। तदनुसार हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए 23 ई-कॉमर्स कंपनियों की सेवाएं ली जा रही हैं।

(ङ): सरकार वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना सृजन, कौशल विकास एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली ये योजनाएं अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं तथा देश में वस्त्र विनिर्माण के लिए समर्थकारी स्थितियां प्रदान करती हैं। इस प्रकार भारत सरकार, विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए निवेश पर सब्सिडी प्रदान करके विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करती है। विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निधियां जारी की जाती हैं। राज्यों में वस्त्र कार्यकलापों में लगी हुई टेक्सटाइल एजेंसियां तथा संगठन उपुर्यक्त योजनाओं की लाभार्थी एजेंसियां हैं। इन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वस्त्र निदेशालयों द्वारा विधिवत अनुशंशित पात्र लाभार्थी एजेंसियों के प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है।

***